

>

Title: Introduction of the Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2011 (Insertion of New Sections 302A and 364B).

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): मैं प्रस्ताव करती हूँ कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

The motion was adopted.

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूँ।
